REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052022-235596 CG-MH-E-06052022-235596

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केंद्रीय कार्यालय)

(कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 21 अप्रैल, 2022

एफ़.सं.कॉकाबवि/निधि/S57/05.12.003/2022-23 - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 के उपधारा (2) के खंड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्दवारा भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियमावली, 1975 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का प्रावधान करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 31 मार्च, 2021 से प्रभावी माना जाएगा।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियम, 1975 में, अर्थात्: -

(1) विनियम 2 में, खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

'(सी) "वर्ष" का आशय 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष है।'

(2) विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

3098 GI/2022

सं. 242]

No. 242]

'7. खातों का विवरण

निधि के खातों को प्रत्येक वर्ष के अंत में बनाया जाएगा और खातों का एक लेखा परीक्षित विवरण प्रत्येक वर्ष **सितंबर** के अंत तक केंद्रीय बोर्ड अथवा उसकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।'

रजनी प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/4/असा./58/2022-23]

विवरणात्मक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वगामी प्रभाव के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट: भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियमावली,1975 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में वर्ष 1988 के संशोधन से पूर्व ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियमावली, 1975</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्दवारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपदान व अधिवर्षिता निधि के गठन एवं प्रबंध हेतु निम्नलिखित विनियमों का प्रावधान करता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त शीर्षक

इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियमावली, 1975 कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (क) "निधि" का आशय भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि से है, जैसा कि विनियम 3 में संदर्भित किया गया है।
- (ख) "अधिवर्षिता लाभ" में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में किया गया अंशदान शामिल नहीं है।
- (ग) "वर्ष" का आशय 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष है।
- 3. निधि का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि नामक निधि होगी एवं उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

- (क) विनियम 8 के उप-विनियमन (2) के अंतर्गत इसमें अंतरित की गई सभी आस्तियां
- (ख) बैंक के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त उपदान सहित उपदान, अथवा अन्य अधिवर्षिता लाभ के कारण उत्पन्न बैंक की देयताओं को पूरा करने के लिए इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व बैंक द्वारा विनियोजित सभी धन;
- (ग) बैंक द्वारा तय की गई आवधिकताओं पर उपदान एवं पेंशन भुगतान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई राशि;
- (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, 1935 के विनियम 8 बी के संदर्भ में इसमें अंतरित धनराशि ;
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियमावली, 1990 के विनियम 31 के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा लौटाई गई धनराशियां;
- (च) भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियमावली, 1990 द्वारा शासित सभी कर्मचारियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के अंतर्गत जमा किए गए कुल अंशदान के बराबर की धनराशि;

(छ) बैंक की राय के अनुसार, आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी राशि जिसका संबंध निम्नलिखित से हो -

- (i) निधि में जमा राशि का शेष;
- (ii) बैंक के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या;
- (iii) अतिरिक्त उपदान सहित उपदान अथवा अन्य अधिवर्षिता लाभों के भुगतान हेतु बैंक की उपार्जित देयता ; तथा
- (iv) अन्य कोई प्रासंगिक संदर्भ।

4. निधि का प्रशासन

यह निधि बैंक के पास रहेगी एवं इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक की निधि होगी एवं केंद्रीय बोर्ड अथवा केंद्रीय बोर्ड समिति द्वारा प्रशासित की जाएगी।

5. ब्याज

बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के अंत में निधि में मासिक शेष राशि पर गणना की गई राशि को उस दर पर जमा करेगा, जिस दर पर अंतिम बार भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज जमा किया गया था।

6. निधि से संवितरण

निधि के धन का प्रयोग निम्नलिखित भुगतान के लिए किया जाएगा:

- (क) बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त उन अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों के लिए, जो संबंधित तिथियों पर, उनकी सेवाओं पर लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार, बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारियों को उपदान का भुगतान) नियमावली, 1947 अथवा तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त उपदान सहित उपदान, अथवा अन्य अधिवर्षिता लाभों के भुगतान हेतु।

7. खातों का विवरण

निधि के खातों को प्रत्येक वर्ष के अंत में बनाया जाएगा और खातों का एक लेखा परीक्षित विवरण प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंत तक केंद्रीय बोर्ड अथवा उसकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

8. निरसन एवं व्यावृत्ति

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर और इसकी तारीख से, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियमावली निरसित मानी जाएगी।
- (2) इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी पेंशन निधि की आस्तियां और देयताएं विनियम 3 में निर्दिष्ट निधि को अंतरित हो जाएंगी।
- (3) उप-विनियम (1) द्वारा निरसन के बावजूद, उक्त विनियमों के तहत किया गया कोई भी कृत्य या की गई कोई भी कार्रवाई इन विनियमों के तहत किया गया या की गई कार्रवाई मानी जाएगी जैसे कि ये विनियम उस तिथि को लागू थे जिस दिन ऐसा कृत्य या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(CORPORATE STRATEGY AND BUDGET DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st April, 2022

F. No. CSBD/Funds/S57/05.12.003/2022-23.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of subsection (2) of section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 1975, namely: –

1. Short title and commencement – (1) These regulations may be called the RBI Employees' Gratuity and Superannuation Fund (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from March 31, 2021.

2. In the Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 1975,

(1) in Regulation 2, for clause (c), the following shall be substituted, namely, -

(c) "Year" means the year ending on the 31st March.'.

(2) in Regulation 7, the following shall be substituted, namely, -

'7. Statement of Accounts

The accounts of the Fund shall be made up as at the end of each year and an audited statement of the accounts shall be submitted to the Central Board or its committee not later than the end of **September** every year.'.

RAJANI PRASAD, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./58/2022-23]

EXPLANATORY MEMORANDUM: It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations.

Note: The Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 1975 were not published in the Official Gazette as there was no provision in the Reserve Bank of India Act, 1934 prior to its amendment in 1988.

Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 1975

In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations for the constitution and management of a Gratuity and Superannuation Fund in respect of officers and other employees of the Reserve Bank of India, namely:

1. Short title

These regulations may be called the Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 1975.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) "Fund" means the Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund, referred to in regulation 3;
- (b) "Superannuation benefits" do not include contributions to the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund;
- (c) "Year" means the year ending on the 31st March.

3. Constitution of Fund

The Reserve Bank of India shall have a Fund to be called the Reserve Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund and there shall be credited thereto-

- (a) all the assets transferred to it under sub-regulation (2) of regulation 8;
- (b) all moneys appropriated by the Bank, before the date of commencement of these regulations, for meeting the liability, on account of gratuities, including additional gratuities or other superannuation benefits payable to officers and other employees of the Bank;
- (c) the amount, as determined, on the basis of actuarial valuation of the Bank's liability towards gratuity and pension payments done at such periodicity, as decided by the Bank;
- (d) the amounts transferred to it by the Administrators of the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund in terms of Regulation 8B of the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1935;
- (e) the amounts refunded by the retired employees in terms of Regulation 31 of the Reserve Bank of India Pension Regulations, 1990;

- (f) an amount equal to the total contributions made under the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Regulations by all the employees governed by the Reserve Bank of India Pension Regulations, 1990;
- (g) such amount, as in the opinion of the Bank, may be necessary having regard to -
 - (i) the balance of the amount standing to the credit of the Fund;
 - (ii) the number of officers and other employees of the Bank;
 - (iii) the accrued liability of the Bank for the payment of gratuities, including additional gratuities or other superannuation benefits; and
 - (iv) any other relevant consideration.

4. Administration of the Fund

The Fund shall be held by the Bank and subject to the provisions of these regulations shall belong to the Bank and be administered by the Central Board or the Committee of the Central Board.

5. Interest

The Bank shall credit to the Fund at the end of every year an amount calculated on the products of monthly balances in the Fund at the end of that year, at the rate at which interest was last credited to the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund.

6. Disbursements from the Fund

The moneys in the Fund shall be utilised for making payments

- (a) on account of pensions to officers and other employees who have retired from the service of the Bank in accordance with the terms and conditions of service applicable to them as on the relevant dates on which they retired from the service of the Bank:
- (b) on account of gratuities including additional gratuities or other superannuation benefits, payable by the Bank under the Reserve Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Rules, 1947, or any law for the time being in force.

7. Statement of Accounts

The accounts of the Fund shall be made up as at the end of each year and an audited statement of the accounts shall be submitted to the Central Board or its committee not later than the end of September every year.

8. Repeal and Saving

- (1) On and from the commencement of these regulations, the Reserve Bank of India Employees' Pensions Fund Regulations shall stand repealed.
- (2) The assets and liabilities of the Reserve Bank of India Employees' Pensions Fund immediately before the commencement of these regulations shall stand transferred to the Fund referred to in regulation 3.
- (3) Notwithstanding the repeal by sub-regulation (1), anything done or any action taken under the said Regulations shall be deemed to have been done or taken under these regulations as if these regulations were in force on the date on which such thing was done or such action was taken.